उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 18

उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		7.32	24.76	32.08	7.32	25.48	32.80	9.25	25.59	34.84
पूंजी		*2.35*	*...*	*2.35*	*2.35*	*7.50*	*9.85*	*9.00*	*0.46*	*9.46*
जोड़		**9.67**	**24.76**	**34.43**	**9.67**	**32.98**	**42.65**	**18.25**	**26.05**	**44.30**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.20	6.58	6.78	0.20	7.23	7.43	0.35	7.03	7.38
उपभोक्ता मामले										
2. राष्ट्रीय परीक्षण गृह	3425	3.30	10.95	14.25	3.30	10.97	14.27	4.23	11.17	15.40
	5425	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
	जोड़	*3.80*	*10.95*	*14.75*	*3.80*	*10.97*	*14.77*	*5.73*	*11.17*	*16.90*
3. उपभोक्ता संरक्षण	3456	3.15	1.57	4.72	3.15	1.69	4.84	3.25	1.79	5.04
4. भार और माप का विनियमन	3475	0.27	1.42	1.69	0.27	1.50	1.77	0.16	1.45	1.61
	5475	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.90	...	0.90
	जोड़	*1.02*	*1.42*	*2.44*	*1.02*	*1.50*	*2.52*	*1.06*	*1.45*	*2.51*
5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग	5475	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	5.40	...	5.40
6. बाजारों का विनियमन	3475	0.25	2.11	2.36	0.25	1.96	2.21	0.25	2.01	2.26
7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13	...	0.14	0.14
8. उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता (नेफेड)	3456	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
9. सुपर बाजार को ऋण	7475	...	...	...	...	7.50	7.50	...	0.46	0.46
जोड़-उपभोक्ता मामले		**8.92**	**24.76**	**33.68**	**8.92**	**32.98**	**41.90**	**16.04**	**26.05**	**42.09**
10. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	6.50	6.50
घटाइए-उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-6.50	-6.50
	निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
उद्योग										
11. उपभोक्ता उद्योग	2852	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	0.86	...	0.86
	4552	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	1.20	...	1.20
	Total	*0.60*	*...*	*0.60*	*0.60*	*...*	*0.60*	*2.06*	*...*	*2.06*
कुल जोड़		***9.67***	***24.76***	***34.43***	***9.67***	***32.98***	***42.65***	***18.25***	***26.05***	***44.30***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
2. उपभोक्ता संरक्षण	13456	10.10	...	10.10	9.77	...	9.77	16.46	...	16.46
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	0.60	...	0.60	2.06	...	2.06
जोड़		**10.25**	**...**	**10.25**	**10.52**	**...**	**10.52**	**18.67**	**...**	**18.67**
मांग संख्या 101	13456	0.58	...	0.58	0.85	...	0.85	0.42	...	0.42

** इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में प्रदान किया गया निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

1. इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. इसमें राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रावधान है।

3. इसमें उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

4. इसमें भार और माप एकक, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय कानूनी माप-पद्धति संस्थान के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के प्रमुख कार्यों और मशीनरी तथा उपस्कर हेतु प्रावधान भी शामिल है।

5. इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग के भवन के निर्माण के लिए प्रावधान है।

6. इसमें वायदा बाजार आयोग से संबद्ध संस्थापन व्यय के लिए प्रावधान है।

7. इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप पद्धति संगठन को अंशदान के लिए प्रावधान है।

8. इसमें आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति पर 'नेफेड' को आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है।

9. इसमें सुपर बाजार को संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए प्रावधान है।

10. इसमें उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत शासित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

11. इसमें भारत की गुणवत्ता परिषद को अंशदान के लिए भुगतान का प्रावधान है।

12. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान।